(165)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र.–2750/ II /2016/निगरानी

हमीदुनिशॉ पति आले अली मुसलमान
निवासी खटाई तहसील चितरंगी जिला सीधी
वर्तमान जिला सिंगरोली (म.प्र.)

——— आवेदिका

बनाम

1. अंजान अली पिता महबूब अली निवासी खटाई तहसील चितरंगी जिला सीधी वर्तमान जिला सिंगरोली (म.प्र.)————— फारमल पक्षकार
2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला सिंगरोली (म.प्र)

——— अनावेदकगण

आवेदिका के अभिभाषक – एस.एल.धाकड़ एडवोकेट
मध्य प्रदेश शासन कि ओर से शासकीय अभिभाषक अनिल गौतम
अनावेदक क्रमांक 1 हितवद्ध पक्षाकर न होने से —— फारमल पक्षकार

आदेश

(आज दिनांक 16/08/2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त संभाग रीवा के अपील प्रकरण क्रमांक 411/2005–2006 में पारित आदेश दिनांक 29/07/2016 एवं अ.वि.अ. देवसर चितरंगी के अपील प्रकरण क्रमांक 99/04–05 में पारित आदेश दिनांक 30/01/2006 के विरूद्व म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– आवेदिका के अभिभाषक उपस्थित, उनके तर्क श्रवण किये अनावेदक क्रमांक 1 शिकायतकर्ता एवं हितवद्व पक्षकार न होने से फारमल पक्षकार बनाया गया है। मध्य प्रदेश शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये,

आवेदिका अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में बताया गया है। कि आवेदिका को भूमिहीन होने के कारण वर्दी/खटाई के महाराजा/इलाकेदार से दिनांक 16/01/1952 पट्टा इलाका वर्दी सर्वे नं 435 का प्रदाय किया गया था। तभी आवेदिका मेहनत, धन खर्च कर कृषि योग्य बनाकर कृषि कार्य करती चली आ रही है। आवेदिका अशिक्षित होने से वर्ष 1980 के पुराने भूमि न. 435 जिसका नया न. 641 के जुज–भाग 2.00 हे. में प्रतिवर्ष पटवारी गस्त किये जाने से कब्जा दर्ज किया जाने लगा था।

आवेदिका ने वर्ष 1999 में सहायक बनदोवस्त अधिकारी जिला सीधी के समक्ष पट्टे के आधार पर इत्तलायबी दर्ज किये जाने का आवेदन दिया जो प्रकरण क्रमांक 67/अ–74/1998–1999 आदेश दिनांक 03/12/1999 से आवेदिका की इत्तलायबी दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये थे। भूमि की किस्त वगार के रूप में दर्ज होने से आवेदिका के नाम की इत्तलायबी दर्ज नहीं हो पाइ। ऐसी स्थिति में आवेदिका द्वारा भू–राजस्व संहिता की धारा 237 के तहत आवेदन अपर कलेक्टर वैढन जिला सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 3/अ–59/03–04 पर पंजीकृत कर आदेश दिनांक 24/12/2003 के द्वारा भूमि की नोइयत परिवर्तन कर काबिल कास्त घोषित किया गया, साथ ही भूमि परिवर्तित भूमि में अधिनीयम की धारा 237 के तहत अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अ.वि.अ. देवसर चितरंगी को भेज दिया गया है। तहसीलदार चितरंगी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 57/अ–6–अ/02–03 में पारित आदेश दिनांक 12/03/2004 से आवेदिका के नाम भूमि की इत्तलायबी दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया ।

अनावेदक क्रमांक 1 अन्जान अली न तो हितबद्व पक्षकार है न हीं कोई हक व हित प्रभावित हो रहा है और न ही विचारण अधीन्स्थ न्यायालय में पक्षकार रहा है। और न ही अ.वि.अ. देवसर/चितरंगी को यहॉ अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति हेतु आवेदन एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। और न ही आदेश एक नियम 10 सी.पी.सी. का पक्षकार बनने हेतु आवेदन भी दिया गया है। सहायक वन्दोवस्त अधिकारी के मूल आदेश दिनांक 03/12/1999 के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जो वह आदेश अंतिम हो गया है। समय सीमा के बहार अपील प्रस्तुत कर अ.वि.अ. द्वारा विधि एवं नियमों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया गया है जो न्याय दृष्टांत 1967 राजस्व निर्णय 354 एवं 1967 राजस्व निर्णय 296 एवं 2015 राजस्व निर्णय दिनांक 24/02/2015 से समर्थिथ किया गया। जिसके आधार पर अपर आयुक्त संभाग रीवा पारित आदेश विधि अनुकूल न होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सहायक वन्दोवस्त अधिकारी

द्वारा पारित आदेश दिनांक 03/12/1999 एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 12/03/2004 को स्थिर रखने का निवेदन किया गया है।

शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि विवादित भूमि–राजस्व संहिता लागू होने के पूर्व का पट्टा होना तो सही है अपर आयुक्त संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश उचित है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। कि आवेदिका को महाराजा/इलाकेदार वर्दी/खटाई द्वारा दिये गये पट्टे दिनांक 16/01/1952 के आधार पर भूमि सर्वे न 435 का नया न. 641 के रकवा 2.00 हे. पर इत्तलायबी दर्ज किये जाने का आवेदन सहायक वन्दोवस्त अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जो प्रकरण क्रमांक 67/अ–74/98–99 आदेश दिनांक 03/12/1999 के द्वारा आवेदिका की इत्तलायबी दर्ज किये जाने का आदेश दिये गये। भूमि की किस्त बगार कि रूप में दर्ज होने से आवेदिका द्वारा भू–राजस्व संहिता की धारा 237 के तहत आवेदन अपर कलेक्टर वैढन जिला सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया जो कि प्रकरण क्रमांक 3/अ–59/03–04 पर पंजीवद्व किया जाकर आदेश दिनांक 24/12/2003 के द्वारा भूमि को काबिल कास्त घोषित किया गया। साथ ही अ.वि.अ. देवसर/चितरंगी को अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। तहसीलदार चितरंगी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 57/अ–6–अ/02–03 आदेश दिनांक 12/03/2004 से आवेदिका के नाम भूमि की इत्तलायबी दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के खिलाफ अ.वि.अ देवसर/चितरंगी के समक्ष प्रकरण क्रमांक 99/2004–2005 अपील अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत की जिसमें पारित आदेश दिनांक 30/01/2006 के द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 12/03/2004 को निरस्त किया गया। जिसके खिलाफ आवेदिका द्वारा अपर आयुक्त संभाग रीवा के समक्ष द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 411/05–06 प्रस्तुत की जिसमें पारित आदेश दिनांक 29/07/2006 के द्वारा अ.वि.अ के आदेश को स्थिर रखते हुये आवेदिका की अपील को निरस्त किया गया। जिसके खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गई।

अधीनस्थ न्यायालयों के रिकार्ड का वारिकी से अवलोकन किया गया। जिसमें आवेदिका को भूमिहीन होने के आधार पर वर्दी/खटाई के महाराजा/इलाकेदार द्वारा दिनांक 16/01/1952 को पट्टा प्रदान किया गया। म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के पूर्व का पट्टा होने से भूमिस्वामी के रुप में इत्तलायबी दर्ज किये जाने हेतु सहायक वन्दोवस्त अधिकारी द्वारा संपूर्ण जाचं

एवं साक्ष्य द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 435 के नये न. 641 के जुज भाग 2.00 हे. पर इत्तलायबी दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 03/12/1999 को दिये गये। जो आदेश अंतिम हो गया है जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं की गई है। साथ ही आवेदिका द्वारा भू–राजस्व संहिता की धारा 237 के तहत नोईयत परिवर्तन की अपर कलेक्टर वैढन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जो विधिवत प्रतिवेदन मगांकर भूमि सर्वे क्रमांक 641 के रकवा 2.00 हे. को काबिल कास्त घोषित किये जाने का आदेश दिनांक 24/12/2003 पारित किया गया। तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 12/03/2004 विधिवत आवेदिका के नाम इत्तलायबी दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा हितवत पक्षकार न होने के उपरांत भी बिना अनुमति लिये एवं पक्षकार बनने हेतु आदेश 1 नियम 10 सी. पी.सी. का प्रस्तुत किये बगैर ही अपील प्रस्तुत की जिसमें अ.वि.अ. द्वारा नियमों के विपरीत जाकर अपील को स्वीकार करने में त्रुटि की है। इसलिये अ.वि.अ. द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/01/2006 निरस्त किया जाता है। अपर आयुक्त संभाग रीवा द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही अ.वि.अ के आदेश को स्थिर रखने में वैधानिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है। सहायक वन्दोवस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03/12/1999 एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/03/2004 स्थिर रखे जाते है प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य